International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 02(II), April - June, 2024, pp. 107-113

एक देश : एक चुनाव

डॉ. सारिका चौहान*

प्रस्तावना

किसी भी जीवन्त लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। अगर हम देश में होने वाले चुनावों पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर वर्ष किसी–न–किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरन्तरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड़ में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश को चलाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। इस सबसे बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया।

गौरतलब है कि देश में इनके अलावा पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव भी होते हैं किन्तु 'एक देश एक चुनाव' में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। 'एक देश एक चुनाव' लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। यह देश के लिए कितना सही होगा और कितना गलत, इस पर कभी न खत्म होने वाली बहस की जा सकती है।

'एक देश एक चुनाव' कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है, नव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ–साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968–69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएँ विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई, वर्ष 1971 में भी लोकसभा चुनाव समय से पहले हो गए थे। पहली बार वर्ष 1959 में केन्द्र ने तत्कालीन केरल सरकार को निलम्बित करने के लिए अनु. 356 लागू किया। वर्ष 1960 के बाद राजनीतिक दलों के बीच दल–परिवर्तन और प्रति–दल–परिवर्तन के कारण कई विधानसभाओं के विघटन की स्थिति बनी, जिसके कारण अंततः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग–अलग चुनाव आयोजित किए गए।

वर्तमान में अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित किए जा चुके हैं। वर्ष 1994 में बी.पी. जीवनरेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में विचार किया।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनवरी, 2018 में संसद में अपनी सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए कहा था कि नागरिक देश के किसी–न–किसी हिस्से में बार–बार आयोजित होते रहने वाले चुनाव को लेकर चिंतित है क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 'एक देश–एक चुनाव' के पीछे का केन्द्रीय विचार भी यही है कि लोकसभा के साथ–साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों को समकालिक या समन्वित किया जाए ताकि देशभर में चुनावों की तीव्रता को कम किया जा सके।

* प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा), राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टेहला, नागौर, राजस्थान।

इसी प्रस्ताव को अमली जामा पहनाते हुए सरकार ने 2 सितम्बर, 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे व पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी शामिल थे। समिति में कानून और न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य थे व डॉ. नितिन चन्द्रा समिति के सचिव थे।

इस समिति ने 191 दिनों के शोध और हितधारकों व विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद 14 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने अपनी 18626 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट को 47 विभिन्न राजनीतिक दलों के परामर्श व सुझावों द्वारा तैयार किया गया। इनमें से 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया। समिति को पूरे देश से 21,558 से अधिक प्रतिक्रियाएँ हासिल हुई। इसमें 80 प्रतिशत से अधिक लोगों ने एक–साथ चुनाव का समर्थन किया और प्रमुख उच्च न्यायालयों के 12 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों व 4 भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों से उनकी राय जानने की कोशिश की गई। देश के 4 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों व 8 राज्य चुनाव आयुक्तों व भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष जैसे कानून विशेषज्ञों को समिति की ओर से व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग की राय भी मांगी गई। अलग–अलग चुनाव कराए जाने की स्थिति पर CII, FICCI, ASSOCHAM जैसे शीर्ष व्यापारिक संगठनों और प्रख्यात अर्थशास्त्रियों से इसका आर्थिक प्रभावों पर विचार जानने के लिए परामर्श लिया गया। इन सभी की राय थी कि अलग–अलग चुनाव कराए जाने से महँगाई बढ़ती है और अर्थव्यवस्था धीमी होती है, इस सन्दर्भ में एक–साथ चुनाव कराया जाना उचित होगा। इनका मानना था कि एक साथ चुनाव ना होने से अधिक विकास, सामाजिक व्यय की गुणवत्ता, शैक्षिक और अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वर्ष 1999 में न्यायमूर्ति बी.पी. जीवनरेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि हर साल चुनाव के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए, हमें उस स्थिति में वापस जाना चाहिए जहाँ लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो। वर्ष 2015 में डॉ. ई.एम. सुदर्शन नचिअप्पन की अध्यक्षता में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए संसदीय स्थायी समिति बनाई गई जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यावहारिकता पर अपनी रिपोर्ट सामने रखी। समिति ने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए सुझाव का हवाला दिया। समिति ने एक–साथ चुनाव कराने को लेकर कई चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया जिसमें एक साथ चुनाव के संचालन के लिए भारी खर्च, लंबे समय तक चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से नीतियों के अमल में देरी और आवश्यक सेवाओं के वितरण पर प्रभाव का जिक्र किया गया था। वर्ष 2018 में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की, इसमें एक साथ चुनाव संबंधी कानूनी व संवैधानिक मुद्दों पर गौर किया गया। आयोग का सुझाव था कि इसके लिए संविधान और विभिन्न कानूनों में संशोधन करके इसे लागू किया जा सकता है। आयोग का मानना था कि एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत होगी, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक ढ़ाँचों पर बोझ कम होगा, सरकारी नीतियों का तुरन्त कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और ये सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों में लगी रहे।

देश में पहले आम चुनाव वर्ष 1952 में सम्पन्न हुए थे जिन्हें सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से करीब साढ़े दस करोड़ रु. खर्च किए थे जबकि वर्ष 2014 में जारी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग को लगभग 5000 करोड़ रु. खर्च करने पड़े वहीं वर्ष 2019 में राजनीतिक दलों ने चुनावी खर्च के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 55,000 करोड़ रु. खर्च किए गए जिसके बाद इस चुनाव ने खर्च के मामले में दुनिया भर के देशों के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिये यह खर्च वर्ष 2016 के अमरिकी राष्ट्रपति चुनाव के खर्च से भी ज्यादा है। वर्ष 2019 के चुनाव के संदर्भ में सेंटर फॉर

मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव खर्च पिछले 20 वर्ष में 1998 से लेकर वर्ष 2019 तक 9000 करोड़ रु. से करीब छः गुना बढ़कर 55,000 करोड़ रु. हो गया।

जाहिर है चुनाव महँगे होते जा रहे हैं, इसका बोझ न सिर्फ सरकारी खजाने पर बल्कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर भी पड़ता जा रहा है। इसके अलावा बार–बार चुनाव कराने से सरकार का सामान्य कामकाज ठहर जाता है।

एक देश–एक चुनाव समिति का क्या है काम? (रामनाथ कोविंद समिति)

- संविधान और अन्य कानूनी ढाँचे के तहत् लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव साथ कराने की संभावना तलाशना।
- एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क देना, अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता तो ऐसा करने के लिए चरणों और समय–सीमा का सुझाव और अन्य जरूरी सिफारिशें करना।
- इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व अन्य नियमों में संशोधन की जांच और उसकी सिफारिश करना। अगर संविधान संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश करना।
- एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद यह चक्र न टूटे इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों और संविधान संशोधनों की सिफारिश करना।
- एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम, वीवीपीएटी, मैनपावर सहित अन्य जरूरतों का आंकलन।
- चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु हो, दल–बदल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई स्थिति बने तो उसके समाधान की तलाश करना।
- पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी को बनाए जाने की सिफारिश करना।

अभी क्या संभावना बन रही है.....

'एक देश–एक चुनाव' लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हाल ही में चुनाव सम्पन्न हुए हैं। इसलिए इन विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाएगा। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव होंगे।

पहला चरण : 8 राज्य, वोटिंग जून 2024 में

- आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम : इनका कार्यकाल जून 2024 में ही पूरा हो रहा है।
- हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखण्ड और दिल्ली : इनके कार्यकाल में 5–8 महीने कटौती करनी होगी।
- फिर जून 2029 तक इन राज्यों में विधानसभाएँ पूरे 5 साल चलेंगी।
- दूसरा चरण : 6 राज्य, वोटिंग : नवम्बर 2025 में
- बिहार : मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा। बाद का साढ़े तीन साल ही रहेगा।
- असम, केरल, तमिलनाडु, पं. बंगाल और पुडुचेरीः मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी साढ़े 3 साल होगा।

तीसरा चरण : 11 राज्य वोटिंग : दिसम्बर, 2026 में

- उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब व उत्तराखण्ड : मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद सवा दो साल रहेगा।
- गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा : मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घटेगा। बाद का सवा दो साल रहेगा।

इन तीन चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा।

रामनाथ कोविंद समिति द्वारा की गई सिफारिशें व सम्बन्धित मुद्दे

- **मुद्दाः** एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने संबंधी कानूनी चुनौतियाँ।
- **सिफारिशः** इस चुनौति से निपटने के लिए दो चरणों वाली व्यवस्था : पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके लिए एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए संविधान के अनु. 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनु. 172 (राज्य विधानमण्डल की अवधि) में संशोधन किया जायेगा। इसके अलावा, संविधान में अनुच्छेद 82ए को भी जोड़ा जायेगा।

इस संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन (मंजूरी) की आवश्यकता नहीं है।

दूसरे चरण में नगरपालिका और पंचायत चुनाव भी लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनावों के सौ दिनों के भीतर कराने पर विचार किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए एक और संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था के लिए संविधान में अनुच्छेद 324ए को शामिल करना होगा यद्यपि इसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद 324एः नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को एक साथ कराने से सम्बन्धित।

संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन किया जाएगा। एकल मतदाता सूची और मतदाता के एकल फोटो पहचान–पत्र को सक्षम बनाने के लिए संशोधन किया जाएगा।

- **मुद्दाः** त्रिशंकु संसद/विधानसभा एवं समय से पहले विघटन संबंधी मुद्दे
- **सिफारिशः** लोकसभा में त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए यद्यपि ये चुनाव केवल भंग लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए ही होने चाहिए। इसी प्रकार राज्यों के मामले में, राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव कराए जायेंगे और जब तक उन्हें जल्द भंग नहीं किया जाता, तब तक उनका कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अन्त तक जारी रहेगा।

इस संदर्भ में भी संविधान के अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए भी राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।

- **मुद्दाः** राज्यों के चुनावों में बदलाव करने से राज्यों के अधिकारों का हनन होगा।
- **सिफारिशः** रिपोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 327 का उल्लेख करके इस चिंता को दूर करने का प्रयास किया गया है। यह अनुच्छेद संसद को, संसद के प्रत्येक सदन और राज्य विधानमण्डल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। समिति ने सिफारिश की है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने की आवश्यकता है।

इस कानून की धाराएँ 14 और 15 आम चुनाव के लिए अधिसूचना से संबंधित है। वहीं भाग IX (जिसमें धारा 147 से 151ए शामिल है) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उप–चुनावों से संबंधित है।

- **मुद्दाः** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में ताल–मेल बैठाना
- **सिफारिशः** समिति ने प्रस्ताव दिया है कि भारत का राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर एक अधिसूचना जारी करें। इस अधिसूचना को चुनाव के समय में ताल–मेल बैठाने के लिए एक निर्धारित तिथि के रूप में तय किया जाना चाहिए। सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाना चाहिए।
- **मुद्दाः** EVMs व VVPATs सहित लॉजिस्टिक्स और श्रमबल से सम्बन्धित मुद्दे

- **सिफारिशें:** भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉजिस्टिक्स संबंधी व्यवस्था करने के लिए एक योजना बनाई है। निर्वाचन आयोग उपकरणों की खरीद के लिए पहले से अनुमान लगा सकता है, जैसे EVMs व VVPATs, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती, अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ करना, आदि।

एक साथ चुनावः आशय

यह लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही मतदान कर सकेंगे। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि सम्पूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो।

उदाहरणस्वरूप इसे मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अलग–अलग क्षेत्रों में चरणवार तरीके से आयोजित किया जा सकता है, बशर्ते किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान करें।

"एक देश, एक चुनाव" के क्या लाभ है?

केन्द्रित शासन–वर्तमान में देश के किसी न किसी हिस्से में कम से कम हर तीसरे माह में कोई–न–कोई चुनाव आयोजित होता ही रहता है। देश का पूरा ध्यान इन चुनावों पर केन्द्रित हो जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल तक, मुख्यमंत्रियों से लेकर राज्य के मंत्रिमण्डल और मंत्रियों तक, सांसद से लेकर पंचायत सदस्यों तक–हर कोई इन चुनावों में गहनता से जुड़ जाता है, क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता। प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति बन जाती है। यह भारत की विकास संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

नीतिगत आलेख की निरन्तरता

निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके कारण चुनाव अवधि के दौरान कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इससे केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकाय सभी स्तरों पर प्रमुख नीतिगत चरणों में देरी की स्थिति बनती है। यहाँ तक की जब तक कोई नया नीतिगत निर्णय आवश्यक नहीं होता है, तब तक कि चुनाव अवधि के दौरान क्रियान्वित परियोजना का कार्यान्वयन ट्रैक से उतर जाता है क्योंकि राजनीतिक कार्यपालक के साथ–साथ सरकारी अधिकारी भी नियमित प्रशासन की अनदेखी करते हुए चुनाव संबंधी कर्त्तव्यों में व्यस्त हो जाते हैं।

चुनाव की लागत में कमी

भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण बार–बार होने वाला चुनाव भी है। प्रत्येक चुनाव में भारी मात्रा में धन जुटाना पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च पर्याप्त रूप से कम हो सकता है। इससे धन उगाही का दोहराव नहीं होगा। इससे जनता और व्यापारिक समुदाय को चन्दे के बारंबार दबाव से भी मुक्ति मिलेगी।

एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रु. खर्च हुए। इसके अलावा यदि चुनाव एक साथ आयोजित होते हैं तो निर्वाचन आयोग द्वारा किये जाने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। निःसंदेह 'एक देश, एक चुनाव' की अवधारणा चुनाव आयोजित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढ़ाँचा स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग को आरंभ में व्यापक भागीदारी का निवेश करना होगा।

इसके साथ ही, सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का उपयोग किया जा सकता है। इससे मतदाता सूची को अपडेट करने में लगने वाले समय और धन की भारी बचत होगी, यह रिश्तेदारों के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो जायेगी क्योंकि उन्हें एक बार सूचीबद्ध होने के बाद मतदाता सूची से अपना नाम गायब होने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी।

सुरक्षा बलों की वापसी में कमी

चुनाव को सुखद ढंग से सम्पन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण और अर्द्धसैनिक बल तैनात किए जाते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर पुनः स्थापित किया जाना शामिल किया है, जिसमें भारी लागत आती है। यह कानून प्रवर्तन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों को उनके महत्वपूर्ण कार्यों से भी निबटाता है। एक साथ चुनाव आयोजित होने से इस तरह की परीक्षा की आवश्यकता कम की जा सकती है।

खरीद–फरोख्त का अन्त

विशिष्ट अवधि में चुनाव कराने से संभावित रूप से खरीद–फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग में कमी आ सकती है, जो दल–बदल विरोधी कानून के क्रियान्वयन में सहायक हो सकती है। निश्चित अंतराल पर चुनाव कराने से उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए दल–प्रवर्तन या गठबंधन बनाना कठिन सिद्ध हो सकता है।

'फ्रीबीज' में कमी और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार

बार–बार चुनावों के कारण सरकारें हर चुनाव में वोट को लुभाने के लिए कुछ नीतिगत निर्णय लेती है यद्यपि इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन फ्रीबिज की घोषणा करने की विशेषता में अवश्य कमी आएगी।

'एक देश–एक चुनाव' से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

संविधान के अनु. 83(2) और 172 में क्रमशः प्रावधान किया गया है कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पांच वर्ष होगा लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है (अनु. 356) जहाँ विधानसभाओं को उनके कार्यकाल से पूर्व ही विघटित कर दिया जाए। इस प्रकार 'एक देश–एक चुनाव' से कुछ गंभीर प्रश्न जुड़े हुए हैं, जैसे–

- यदि केन्द्र या राज्य की सरकार का कार्यकाल मध्य में खत्म हो जाता है तो क्या होगा? इस परिदृश्य में प्रत्येक राज्य में पूर्ण चुनाव सम्पन्न होगा या राष्ट्रपति शासन अधिरोपित होगा?
- लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियाँ

संघवाद के विचार के विरूद्ध

एक देश–एक चुनाव का विचार संघवाद की अवधारणा से मेल नहीं खाता है क्योंकि संविधान के अनु. 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' के रूप में उल्लेखित किया गया है।

विधिक चुनौतियाँ

बी.एस. चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और लोकसभा एवं विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता होगी। आयोग ने इसके लिए कम–से–कम 50 प्रतिशत राज्यों से अनुसमर्थन प्राप्त करने की भी सिफारिश की थी, जो सरल कार्य नहीं है।

क्षेत्रीय हितों पर ग्रहण

आईडीएफसी इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2015 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एक साथ चुनाव कराने पर इस बात की 77 प्रतिशत संभावना बनेगी कि विजित राजनीतिक दल या गठबंधन लोकसभा और किसी राज्य की विधानसभा दोनों में जीत दर्ज करेगा। यह प्रत्येक राज्य की विशिष्ट मांग और आवश्यकताओं को क्षीण करेगी।

लागत प्रभावी नहीं होने की संभावना

निर्वाचन आयेाग, नीति आयोग आदि के विभिन्न अनुमान बताते हैं कि पाँच वर्ष के चक्र में सभी राज्य और संसदीय चुनाव आयेाजित करने की लागत प्रति मतदाता प्रतिवर्ष 10 रु. आती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराए जाने पर इसकी लागत प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति 5 रु. होगी।

एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता की आवश्यकता होगी, जिससे अल्पावधि में आरंभिक लागत बढ़ जायेगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 5 रु. की बचत करने के लिए संविधान में संशोधन करना बहुत अच्छा विचार नहीं माना जा सकता है।

आर्थिक शोध से यह पता चलता है कि राजनीतिक दलों और समर्थकों द्वारा किया जाने वाला चुनावी खर्च वास्तव में निजी उपयोग को बढ़ावा देता है और अर्थव्यवस्था और सरकार के राजस्व को लाभ पहुँचाने के लिए चुनावी खर्च के रूप में कार्य करता है।

आगे की राह

सरकार को 'एक देश–एक चुनाव' को लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सरकार को अतिरिक्त अध्ययन, डेटा के मूल्यांकन और इस अवधारणा को लागू करने के तरीके पर विपक्षी दलों के नेताओं एवं स्थानीय पक्षों से भी प्रतिक्रिया आमंत्रित करने पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार पूरे देश को यह तय करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि 'एक देश, एक चुनाव' लागू करने की आवश्यकता है या नहीं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Breman Geofferey & Lomaskey Loren, Democracy & Decision: The pure theory of Electroral preference, the press syndicate of the university of cambridge, New York, 1993.
2. Butter, Davit et al, A compendium of Indian elections, Arnold Heinemann, New Delhi, 1984.
3. Dalton Russsel J. (ed.) Electoral change in Advance industrial democracies, princeton univesity press, Princeton, 1984.
4. Dixit, R.D., Geography of Elections, Rawat Publications, Jaipur, 1995.
5. Institute of constitutional and parliamentary studies, elections and electoral reforms in India, sterling Publishers, New Delhi, 1971.
6. Throson, Thomas L., The logic of democracy, Halt, Rinchart and Winston, New York, 1962.

❖◆❖